



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



भारत 2023 INDIA  
वसुधैव कुटुम्बकम्  
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

पत्रांक : सम्ब0/697/2023 दिनांक : 05/11/2023

सेवा में,

प्राचार्य/सचिव,  
समस्त समबद्ध महाविद्यालय,  
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय:—अग्रेत्तर/स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ऐसे समस्त महाविद्यालय (स्नातक/परास्नतक स्तर) जिनकी सम्बद्धता दिनांक 30.06.2024 को समाप्त हो रही है, अग्रेत्तर/स्थायी सम्बद्धता हेतु शासन द्वारा जारी संलग्न समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन शासन के पोर्टल <Http://henoc.upsdc.gov.in> पर आवेदन कर निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 2,000/- एवं निरीक्षण मण्डल गठन फीस रू0 10,000/- तथा सम्बद्धता फीस रू0 25,000/- एवं सम्बद्धता फीस पर निर्धारित 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त (प्रति-पाठ्यक्रम) शुल्क ऑनलाइन जमा करते हुये जमा धनराशि को विश्वविद्यालय स्थित इण्डियन बैंक, पालीवाल पालीवाल परिसर, आगरा से प्रमाणित कराकर नियमानुसार/मानकानुसार पत्रावली समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

  
कुलसचिव  
30/11/23

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षक—कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. सहायक कुलसचिव—सम्बद्धन।
3. अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालय की लॉगिन एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

  
कुलसचिव

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

**उच्च शिक्षा अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक: 15 सितंबर, 2023**

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 15 सितंबर से 15 दिसम्बर, 2023 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से 20 जनवरी, 2024 तक। (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तदुपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक।
4	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 फरवरी, 2024 तक।
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 फरवरी, 2024 तक।
6	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 05 मार्च, 2024 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदुपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2024 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2024 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2024 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2024 तक।